दिनांक 22-11-2015 को झारखंड विधानसभा परिसर, धुर्वा में विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण

झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई।

विधानसभा ने पिछले 15 वर्षों में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं तथा जनहित की समस्याओं के निदान एवं राज्य के विकास की दिशा में कई सफलताएँ अर्जित की है। स्थापना दिवस हम सभी के लिए अपनी उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करने के साथ कमियों पर मंथन व चिन्तन करने का भी है।

राज्य के विकास में विधानमंडल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि जनता अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि का चयन बहुत आशा और विश्वास के साथ करती है एवं जन–प्रतिनिधि से अपेक्षायें रखती हैं। देश व राज्य के विकास की गति के लिए मंत्रिमंडल एवं विधायकगण को ही जिम्मेदार माना जाता है, इस बात का ध्यान हमेशा सभी विधायकों और मंत्रिमंडल के सदस्यों को रखना होगा।

लोकतंत्र जिसे हम जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन कहते आये हैं, इसमें जनता की अपेक्षायें अधिक–से–अधिक पूर्ण करने की भूमिका

विधानसभा की ही होती है। वर्त्तमान दौर में हमारी जनता यह देखती है और चिंतन करती है कि अन्य राज्यों में जनता के लिए कौन-सी कल्याणकारी योजनायें संचालित हो रही हैं, इसके क्या प्रभाव हुए हैं और उनके द्वारा अपनाई जा रही बेहतर कार्यप्रणाली को अपने यहाँ भी अपनाने की अपेक्षा भी करती है। इतना ही नहीं, भूंडलीकरण के इस युग में सूचना तकनीक के आयाम के विभिन्न माध्यम से वे अन्य राष्ट्रों में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भी परिचर्चा करते हैं।

विधि निर्मात्री सभा विधानसभा को सदैव सचेष्ट रहना है कि जनहित हेतु आवश्यकताएँ क्या है, उनकी समस्यायें क्या है, ताकि उनके अनुरूप नीतियाँ बनाई जायें और राज्य की प्रगति और तीव्र गति से हो सके। मेरे स्मरण में है कि झारखण्ड विधानसभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में माननीया लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन जी आई थी। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों को जनता की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से जानने के लिए और उन्हें मूर्त्त रूप प्रदान करने की दिशा में कई बातें कही थी। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों से अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की बात कही थी। इससे जनता की

प्रतिक्रिया सरलता से प्राप्त की जा सकती है और अच्छे कार्यों की सराहना भी होती है।

मैं विधानसभा के सदस्यों से कहना चाहूँगी कि सदन के समक्ष कोई अधिनियम/विधि पारित करने हेतु लाया जाय, तो उसके प्रारूप का वे गंभीरतापूर्वक अध्ययन करें तथा इसके लागू होने से जनता पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिन्तन करें, इस पर वे जनता से परिचर्चायें भी करें। सरकार भी विधानसभा सदस्यों को उस अधिनियम/विधि का प्रारूप कुछ दिन पूर्व सुलभ कराने हेतु प्रयासरत रहे, ताकि विधायकगण जनहित में बेहतर सुझाव दे सकें। साथ ही आवश्यकता प्रतीत होने पर उस अधिनियम में यथोचित संशोधन भी किया जा सके।

झारखंड विधानससभा में 30 से अधिक ऐसे सदस्य हैं, जो प्रथम बार सदस्य में चयनित होकर आये हैं। इनमें बहुत–से युवा भी हैं। इन नव निर्वाचित सदस्यों से समाज को बहुत ही अपेक्षायें हैं। हमारे पुराने एवं अनुभवी विधायकों का दायित्व बनता है कि वे इन विधायकों के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभायें। उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य करें। इस निमित्त दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करने की नितांत आवश्यकता होगी।

सदन में बेहतर ढ़ेग से परिचर्चायें हो, सबकी बात सुनी जाय। सदस्यगण सदन के समक्ष जनहित में तथ्यपरक विषय लायें। सूचना तकनीक के इस युग में जनता अपने जनप्रतिनिधि का सदन में कार्यकलापों का आकलन करती है। हमारी जनता न केवल अपने क्षेत्र के विधायक द्वारा किये गये प्रश्न को गंभीरतापूर्वक सुनती है, बल्कि सरकार का उस पर क्या विचार है, ये भी जानने को उत्सुक रहती है। वे अपने चुने हुए प्रतिनिधि के आचरण को भी गौर से देखती है तथा स्वभाववश अन्य जन–प्रतिनिधियों के कार्यकलापों से तुलना करती है। वे अपने प्रतिनिधि से 'द बेस्ट' की कल्पना करती है।

लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम जिम्मेदारी होती है। उन्हें सदैव रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना होता है। सरकार से यदि जनहित की कोई बात छूट जाय, तो विपक्ष को इस ओर प्रभावी रूप से ध्यान दिलाना चाहिये। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर रहने का है।

यह खुशी की बात है कि झारखण्ड विधानसभा द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एक विधायक को उत्कृष्ट विधायी सम्मान से सम्मानित किया जाता है। मैं इस वर्ष उत्कृष्ट विधायी सम्मान से

अलंकृत होने वाले सदस्य श्री प्रदीप यादव जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही कहना चाहूँगी कि उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित होनेवाले जन-प्रतिनिधि से जनता को अपेक्षायें और बढ़ जाती है तथा उन पर और सक्रिय भागीदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी होती है। इस सन्दर्भ में मैं आपके सामने व्यक्तिगत अनुभव बाँटते हुए कहना चाहूँगी कि उड़ीसा विधानसभा द्वारा मुझे भी उत्कृष्ट विधायक लिए नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस सम्मान प्राप्त होने के बाद मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता की अपेक्षायें मुझसे और बढ़ गई थी तथा उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की अहम चुनौती थी। मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगी कि झारखंड विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का आचरण व कार्यप्रणाली इतना बेहतर हो कि कौन से विधायक को उत्कृष्ट विधायक के सम्मान से नवाज़ा जाय, इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन हो जाय। मैं आज सम्मानित होनेवाले विधानसभा कर्मियों को भी बधाई एवं अपनी शुभकामना देती हूँ।

मुझे खुशी है कि झारखण्ड विधानसभा के भवन के निर्माण की दिशा में कार्य प्रारंभ है। आशा है कि शीघ्र ही ही भवन निर्मित होगा, जो आधुनिक एवं सूचना तकनीक की सुविधाओं से संम्पन्न होगा तथा

जन-प्रतिनिधि भी बेहतर ढ़ंग से अच्छे माहौल में जनहित के कार्यों का अवलोकन कर उस दिशा में अमल करेंगे। साथ ही क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार के समक्ष तथ्यों के साथ संज्ञान में लाने का कार्य करेंगे।

झारखण्ड विधानसभा की गणना देश में आदर्श विधानसभा के रूप में हो। इसके लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को अपनी सक्रिय भूमिका निभानी है, ताकि हम अपने राज्य के सवा तीन करोड़ से अधिक लोगों के दु:ख-दर्द को दूर करके एक समृद्ध और गौरवशाली झारखण्ड का निर्माण कर सकें।

एक बार पुन: आप सभी को इस पुनीत अवसर पर बधाई देती हूँ।

जय हिन्द! जय झारखण्ड!